प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
- -
- - - दुजाना पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,
दुजाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक सं. शि.स./ 6339-45 /97-98 दिनांक 19.1.98

विषय :- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक -16-1-98- - - मे लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एम (78)/89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 मे दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धो के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

<u>प्रतिबन्ध</u> :- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नही करा ली जाती।

2- प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियो और शिक्षको को मिनिमम वेजज ऐक्ट के तहत बैंक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।

3- विद्यालय मे छात्रो के चरित्र निर्माण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यो की सम्प्राप्ति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशो का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।

4- समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।

5-शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरो के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयो की समस्त निधियो का लेखा उचित रूप मे रखा जायेगा। भवन शुल्क/ कैपिटेशनफीस के रूप मे कोई भी धनराशि विद्यार्थियो से लिया जाना वर्जित होगा।

6- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को वही वेतनमान महगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को प्राप्त हो रहे होगे।

7-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सैक्शन न तो बन्द किया जायेगा और न खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।

8- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी । विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

9- विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति [illegible] बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।

10- विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

11-विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12-विभागीय आदेशों का पालन किया जाये ।

13-विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/ अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।

14- विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है । विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा ।

15-विभागीय आदेशों/ नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

16- जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट केहिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठायें तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्माण [illegible] ।

भवदीय,
17.1.98

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ

पृ0 शि·स·/ 6 /97-98 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अपर शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ. प्र. इलाहाबाद ।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ———— गौतमबुद्धनगर
4- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ———— गौतमबुद्धनगर
5- शिक्षा अधीक्षक/ अधीक्षिका नगर क्षेत्र गौतमबुद्धनगर —
6- क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ————
7- समाज कल्याण अधिकारी ———— गौतमबुद्धनगर

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

क्रि०सं० 446-467/99-2001 दि० 22-4-99

प्रेषक

पत्रांक / शि स० / 1814-1857 / 98-99 दि० 12-2-99

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुध्दनगर

सेवा मे

प्रबन्धक
दुजाना पब्लिक स्कूल
दुजाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

विषयः- प्राईमरी स्तर की मान्यता के सम्बन्ध मे ×।

महोदय / महोदया

आपके आवेदन पत्र एव निरीक्षक वर्ग की आख्या एव सस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 12 फरवरी 1999 के प्रस्ताव सख्या के निर्णय के अनुसार कतिपय प्रतिबन्धो के साथ निम्न प्रकार की मान्यता प्रदान की जाती ह ।

§क§ विधालय को जोलाई 98 से प्राईमरी स्तर की कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की स्थाई मान्ता प्रधान की जाती है ।

§ख§ पूर्व प्रदत प्राईमरी स्तर की अस्थाई मान्यता शिक्षा प्रसार विधालय हित / छात्र छात्राओ के भविष्य को ध्यान मे रखते हुये जनहित मे जोलाई 98 से जून 99 तक मान्यता प्रदान कीजाती है ।

§ग§ विधालय को प्राईमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता जोलाई 98 से जून 99 तक प्रदान की जाती है जोलाई 99 से समयावृध्दि हेतु आवेदन करे ।

प्रतिबन्ध

§1§ प्रशिक्षित अध्यापकोंम की नियुक्ति ही की जाये ।

§2§ विधालय मे स्वीकृत पाठयक्रम की पुस्तके पढाई जाये ।

§3§ विधालय मे विभागीय निधारित शुल्क लिया जाये ।

§4§ किसी भी अध्यापक को विना विभागीय अनुमोदन के नियुक्त अथवा सेवा विमुक्त न किया जाये ।

§5§ विधालय मे सभी धर्मो के छात्र / छात्राओ का प्रवेश दिया जाये।

§6§ विधालय की प्रगति 30 जून तक प्रस्तुत कर दी जाये ।

§ सुरेन्द्रपालसिंह त्यागी §
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुध्दनगर